न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 233/2017/225 आर टी ए

1. बन्तासिंह पुत्र हरभजसिंह जाति अराई निवासी चक 18 एमकेएस तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बिरखसिंह पुत्र आशाराम जाति अराई निवासी चक 18 एमकेएस तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र जीसुखराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 24/2014 बअनवानी ताराचन्द बनाम बन्तासिंह आदि

उपस्थित :–

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2

निर्णय दिनांकः–05.02.2017

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत बिना सुनवाई का अवसर दिये व दस्तावेजी साक्ष्यो को अनदेखा करते हुए पारित किया गया जो खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे तारीख पेशी भिन्न थी व दिनांक 02.06.2017 को पत्रावली पेशी मे लेकर राजस्व अभियान मानकसर मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश मे वर्णित चक 18 एमकेएस प.न. 161/234 मु.न. 53 कि.न. 4 व 7 अपीलांटस व अन्य सहकाश्तकारो के संयुक्त खाता मे व संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है। इसलिए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सभी काश्तकारान खाता सं. 59/93 आवश्यक पक्षकार थे परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ने

केवल मात्र अपीलांट को ही प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया है। अपीलांट ने जवाब मे यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि प्रार्थना पत्र मे जिस भूमि से रास्ता चाहा गया है वह अपीलांटस व अन्य सहकाश्तकारो की संयुक्त खाता की भूमि है। सभी सहकाश्तकारो को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया जाना चाहिए था परन्तु न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेख कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट मे पटवारी हल्का द्वारा खाता संयुक्त होने बाबत कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जबकि संयुक्त खाता की भूमि मे प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 को अपने खेत मे आने जाने के लिए चक 18 एमकेएस प. न. 161/234 मु.न. 53 कि.न. 4 व 7 मे से 1–1 बिस्वा रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहा था रेस्पो0 सं. 1 द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो सही है। रेस्पो0 सं. 1 को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अगर अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकृत किया गया रास्ता निरस्त कर दिया जाता है तो रेस्पो0 सं. 1 को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प.न. 161/234 मु.न. 53 कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे प्रश्नगत रास्ता मात्र 2 बीघा दूरी पर है। जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर अपीलांट की खातेदारी भूमि जो सांझे खाते दर्ज मे चक 18 एमकेएस के प.न. 161/234 मु.न. 53 कि.न. 4 व 7 मे एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया। परन्तु उक्त रास्ता जो अपीलांट की खातेदारी भूमि मे स्वीकृत किया

गया, वह सांझे खाते दर्ज है। जिसमे बिना समस्त सहकाश्तकारो की पक्षकार बनाये मात्र अपीलांटस पक्षकार बनाते हुए बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना मौका निरीक्षण किये राजस्व कैम्प के दौरान अपीलाधीन निर्णय के जरिये स्वीकृत कर दिया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा पक्षकारान को सूचित करते हुए मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत रास्ता से प्रभावित काश्तकारान को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ